TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFARPUR
Muzaffarpur Dairy, P.O. – Kolhua Paigamberpur, Muzaffarpur - 843 108 (Bihar)
Phone:+91-7070992986,
Website:- www.sudhatimul.in, E-mail :- tirhutnin@gmail.com, proctimul@gmail.com

———: दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन निविदा :———

मुजफ्फरपुर डेयरी अन्तर्गत दूध परिवहन हेतु **मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र** में दुग्ध संग्रहण पथ संख्या 03,05,14,18,20(बी),22,23,23(एस),24 एवं 26(एस) **साहेबगंज प्रक्षेत्र में** 27, 27(ए), 29, 33, 56,57 एवं 61 **सीतामढ़ी प्रक्षेत्र** में 06,06(ए),07(बी), 08(बी),11,11(ए),11(एस),15,40,41,71 एवं 72 **शिवहर प्रक्षेत्र** में 04(सी), 09,एवं 36 **मोतिहारी प्रक्षेत्र** में 12,12(ए), 12(बी), 12(सी), 13, 13(एस), 16, 16(बी), 16(सी), 21, 25, 25(एस),28,42,42(बी),43,43(एस),44 एवं 81 **गोपालगंज प्रक्षेत्र** में 30,31,32,32(ए), 45, 45(ए), 62, 63, 64,65 एवं 91 **सीवान प्रक्षेत्र** में 38(ए),38(बी),38(सी),39(बी),39(सी),49(सी), 49(एस),50(एस) एवं 68 **बेतिया प्रक्षेत्र** में 28+34,34,34(बी),34(सी),35,35(ए),35(एस),46,47,52, 53,53(एस),54,55,85,86 एंव 87 से संग्रहित दूध परिवहन कर बल्क मिल्क कूलर/दुग्ध शीतक केन्द्र/डेयरी तक लाने तथा तिमुल संघ प्रक्षेत्र के समितियों तक पशु आहार कारखाना कांटी से सुधादाना पहूचाने तथा मुजफ्फरपुर डेयरी से संघ कार्यक्षेत्र के सभी जिला के सभी प्रखंडों में सरकारी मांग के अनुसार पोषक सुधा की आपूर्ति करने हेतु ट्रक, टाटा 407, 407 पिकअप, पिकअप अथवा उपरोक्त वाहन (ट्रक,टाटा 407 वर्ष 2015 के बाद का एवं पीकअप वर्ष 2018 के बाद का मॉडल) के समकक्ष वाहन के लिए सक्षम परिवहन संवेदकों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्र रू0 500/— (पाँच सौ रूप्या) मात्र के नगद भुगतान पर दिनांक **24.02.2025 से दिनांक 10.03.2025 के 04** बजे दिन तक किसी भी कार्यदिवस में मुजफ्फरपुर डेयरी के रोकड़ शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। अथवा कार्यालय के वेवसाईट www.sudhatimul.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वेवसाईट से डाउनलोड किया गया निविदा प्रपत्र को निविदा भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए रू0 500/— का डिमांड ड्राफ्ट अथवा संघ कार्यालय में नगद भुगतान कर मनी रसीद (निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में) संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र में निविदा हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निविदा शर्त्तो की विवरणी, पथ के अनुसार गाड़ियों का प्रकार तथा टेक्नीकल बीड एवं वित्तीय बीड का प्रपत्र संलग्न रहेगा।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए प्राप्त निविदाओं को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFARPUR
Muzaffarpur Dairy, P.O. – Kolhua Paigamberpur, Muzaffarpur - 843 108 (Bihar)
Phone:+91-7070992986,
Website:- www.sudhatimul.in, E-mail :- tirhutnin@gmail.com, proctimul@gmail.com

निविदा संख्या : तिमुलःसंग्रहणःनिविदाः दिनांक

निविदा प्रपत्र

दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन संवेदक हेतु

(2024–25)

प्रमुख तिथियाँ :–

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अवधि	–	दिनांक 24.02.2025 से 10.03.2025 के 4 बजे दिन तक
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	दिनांक 17.03.2025 के 5 बजे संध्या तक
निविदा प्रपत्र में कुल पृष्ठों की संख्या	–	23
टेक्नीकल बीड के लिफाफा में	–	पृष्ठ सं0 02 से 08 डाल कर सील करें।
वित्तीय बीड के लिफाफा में	–	पृष्ठ सं0 19 से 23 डाल कर सील करें।
टेक्निकल बीड खोलने की तिथि	–	दिनांक 19.03.2023 के 11:30 बजे दिन में

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 500/– रूपया (वापसी योग्य नहीं)

निविदादाता का हस्ताक्षर

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर

दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्त्ते एवं दिशा–निर्देश

दुग्ध संगहण परिवहन एक अति आवश्यक एवं नियमित सेवा है। इस कार्य के ठेका हेतु सामान्य शर्त्ते एवं दिशानिर्देश निम्नप्रकार है :–

01. निविदा में प्रस्तुत दर स्वीकृत्यादेश की तिथि से सामान्यतः दो वर्ष के लिए लागू रहेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अधिकतम 1 वर्ष के लिए विस्तारित हो सकेगा। ट्रक,टाटा 407 वर्ष 2015 के बाद का एवं पीकअप वर्ष 2018 के मॉडल होना चाहिए।
02. प्रतिदिन दोनो पाली में निविदित पथ के लिए तिमुल संघ द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध को परिवहन कर मुजफ्फरपुर डेयरी/शीतक केन्द्रों/बल्क कुलर तक पहुचॉना होगा।
03. पशुआहार ढुलाई हेतु च्यनित संवेदक को तिमुल संघ प्रक्षेत्र के समितियों तक पशु आहार कारखाना कांटी से सुधादाना पहूचाना होगा।
04. पोषक सुधा ढुलाई हेतु च्यनित संवेदक को मुजफ्फरपुर डेयरी से तिमुल संघ कार्यक्षेत्र के सभी जिला के सभी प्रखंडों में सरकारी मांग के अनुसार सुरक्षित पोषक सुधा की आपूर्ति करना होगा।
05. दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप भंडार शाखा से सुधादाना, एसिड,अल्कोहल आदि सामग्री (समितियों में प्रयोग हेतु) प्राप्त कर समितियों को पहुँचाना होगा।
06. निर्धारित समय से विलम्ब से आने पर खट्टा अथवा फटे दूध की कीमत आपके परिवहन विपत्र से कटौती कर क्षतिपूर्ति की जायेगी।
07. नियमित परिवहन गाड़ी ब्रेकडाउन होने पर अन्य गाड़ी की व्यवस्था कर परिवहन कार्य करने की जिम्मेवारी आपकी है। गाड़ी बदलने पर इसकी लिखित सूचना कारण सहित कार्यालय में अविलंब उपलब्ध कराना होगा।
08. दुग्ध पथ का विस्तार, संकुचन अथवा दुग्ध संग्रहण बंद करना (परिस्थिति के अनुसार) तिमुल संघ प्रबंधन का अधिकार रहेगा एवं समय समय पर निर्गत आदेश आपको मान्य होगा।
09. गाड़ी में चालक के अतिरिक्त न्यूनतम 1 दक्ष खलासी का रहना अनिवार्य है ताकि केन लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य सुचारू रूप से हो सके।
10. वास्तविक परिचालित दूरी के आधार पर संग्रहण शाखा द्वारा परिवहन विपत्र भुगतान की अनुशंसा की जाती है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारी से परिचालित दूरी सत्यापित कराना आवश्यक होगा। गाड़ी का किलोमीटर दर्शाने वाला मीटर सही स्थिति में रखना आवश्यक होगा।
11. अन्य शर्त्ते संग्रहण परिवहन एकरारनामा में निर्धारित शर्त्तो के अनुरूप होगा।
12. ठेका प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा एवं जमानत राशि कार्यालय में जमा करना आवश्यक है, अन्यथा विपत्र भुगतान बाधित हो सकता है तथा इसकी जबाबदेही आपकी होगी।
13. डेयरी को उपलब्ध कराये जा रहे सभी गाड़ियों का सभी कागजात एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस अद्यतन रखना अनिवार्य होगा।
14. निविदा प्रपत्र 2 भाग में है :– (क) टेक्निकल बीड (ख) वित्तीय बीड
    - (क) टेक्निकल बीड में उल्लेखित सभी कागजातों की छायाप्रति तथा **अग्रधन का ड्राफ्ट संलग्न** कर लिफाफा में बंद कर सील करें तथा लिफाफा पर **टेक्निकल बीड** एवं **अंतिम तिथि – 17.03.2025** एवं **निविदत्त दुग्ध संग्रहण परिवहन पथ/सुधादान/पोषक सुधा ढुलाई का नाम** लिखना आवश्यक है।
    - (ख) वित्तीय बीड में परिवहन दर एवं अग्रधन का व्यौरा भर कर अलग लिफाफा में भर कर सील करना होगा तथा लिफाफा पर **वित्तीय बीड** एवं **निविदत्त पथ का** नाम लिखना आवश्यक है।
    - (ग) **दोनों लिफाफा** को अन्य **तीसरे बड़े लिफाफा** में डाल कर रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। लिफाफा पर **संग्रहण परिवहन ठेका एवं अंतिम तिथि 17.03.2025 तथा निविदत्त पथ का नाम एवं संख्या/सुधादान/पोषक सुधा ढुलाई तथा निविदादाता का नाम एवं पूरा पता लिखना अनिवार्य है।**

<u>निविदादाता का हस्ताक्षर</u>

(घ) सर्वप्रथम टेक्निकल बीड खोला जायगा तथा उसमें सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायगा। वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय बाद में सूचित किया जायेगा।

15. एक निविदादाता से अधिकतम 2 (दो) पथों के लिए दर निविदा स्वीकार्य होगा।
16. निविदादाता एवं अन्य पार्टियों से आवश्यकता समझे जाने पर निगोसियेशन द्वारा दर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार तिमुल संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा। सभी निविदाओं को अस्वीकार करने एवं किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण अस्वीकृत करने, निविदादाताओं में आवश्यकतानुसार कार्य का बंटवारा करने का अधिकार तिमुल संघ प्रबंधन को सुरक्षित होगा।
17. सफल निविदादाताओं को तिमुल संघ द्वारा निर्धारित शर्त्तो पर दूध परिवहन कार्य हेतु स्थानीय कोर्ट से 1000/– रूपया मात्र के ननजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के अनुसार कार्य संपादन नहीं करने पर सिक्युरिटी मनी जब्त कर ली जायगी एवं तत्काल ठेका रद्द कर दिया जायगा। एकरारनामा में कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होगा तथा दो जमानतदार से जमानत देनी होगी।
18. परिवहनकर्त्ता द्वारा परिवहन कार्य बंद करने के लिए **कम से कम एक महीने की अग्रिम नोटिस** देना अनिवार्य है।
19. परिवहन संवेदक पाक्षिक विपत्र भुगतानार्थ प्रस्तुत कर सकते है। विपत्र प्राप्ति के 15 वें दिन तक में विपत्र का भुगतान किया जयगा।
20. डेयरी के निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा प्रस्तुत किया जायगा। प्रत्येक निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रू0 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट '' **तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,**'' के नाम से जो **मुजफ्फरपुर** में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। वर्तमान संवेदक लेखा शाखा से सिक्योरिटी मनी जमा संबंधित लेजर (प्रमाणक) संलग्न करेंगे।
21. निविदा दिनांक **17.03.2025** के **05 बजे संध्या तक** पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्न पते पर प्राप्त की जायगी। इस तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं, अपूर्ण/सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायगा।

कार्यालय – **तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर डेयरी**
पो0 – कोल्हुआ पैगम्बरपुर, मुजफ्फरपुर– 843108 (बिहार)

22. **दिनांक 19.03.2025 के 11:30 बजे दिन में मुजफ्फरपुर डेयरी कार्यालय में टेक्निकल बीड खोली जायगी** जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। **प्राधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को लाना है।**
23. सशर्त्त निविदा अमान्य किया जा सकता है।
24. **निविदा प्रपत्र के 02 से 08 पृष्ठों को सहमति** स्वरूप हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा। **पृष्ठ 02 से 08 को टेक्नीकल बीड के** साथ जमा करना है तथा **पृष्ठ 19 से 22 को वित्तीय बीड के** साथ दर अंकित कर अलग लिफाफे में जमा करना है।
25. टेक्नीकल बीड में चयन का आधार टेक्नीकल बीड में मांगी गई सूचना एवं कागजात का छाया प्रति तथा अग्रधन राशि का स्वयं के खाता से बना डी0डी0 तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में डी.डी./एम.आर होगा।
26. परिवहनकर्त्ता एवं संघ के बीच एकरारनामा संपादित होने के बाद अगर सरकार द्वारा डीजल के मूल्यों में कम से कम 01 रूपये की वृद्धि /कमी की जाती है, तो परिवहन दर में अनुपातिक वृद्धि/कमी की जायेगी जो पथ में तय की जा रही दूरी पर आधारित होगा।
27. परिवहनकर्त्ता से किसी भी प्रकार के बकाए की वसूली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत की जायगी।

प्रबंध निदेशक

<u>निविदादाता का हस्ताक्षर</u>

TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFARPUR
Muzaffarpur Dairy, P.O. – Kolhua Paigamberpur, Muzaffarpur - 843 108 (Bihar)
Phone:+91- 7070992986,
Website:- www.sudhatimul.in, E-mail :- tirhutnin@gmail.com, proctimul@gmail.com

(दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित)

टेक्निकल बीड प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या :– तिथि :–

आवेदक अपना हाल का पासपोर्ट साईज स्वहस्तारित फोटो चिपकाएँ।

01. पथ का नाम, जिसके लिए निविदा दी जा रही है :–
    पथ संख्या :–

    पथ का नाम :–
02. निविदादाता का पूरा नाम :–
    (पहचान पत्र/वोटर पहचान पत्र संलग्न करें)
    (क) स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला :–
    पोस्ट :– थाना :–
    जिला :– पिन कोड :–
    (ख) वर्तमान पता :– ग्राम/मोहल्ला :–
    पोस्ट :– थाना :–
    जिला :– पिन कोड :–

03. जन्म तिथि :–
04. शैक्षणिक योग्यता :–
05. दूरभाष संख्या मोबाईल संख्या
06. दूध संग्रहण परिवहन व्यवसाय का अनुभव :– हॉ/नहीं
    यदि हॉ तो कब से
07. गाड़ी का पूर्ण विवरण :–

    (क) गाड़ी का प्रकार :–

    (ख) मॉडल :–

निविदादाता का हस्ताक्षर

(ग) पंजीयन संख्या एवं तिथि :–
(ऑनर बुक की फोटो कॉपी संलग्न करें।)

(घ) क्या गाड़ी के मालिक आप है :– हॉ/नहीं
(यदि नहीं तो गाड़ी मालिक के साथ गाड़ी परिचालन का 1000 /– रू0 के नन–जुडिशियल स्टाम्प एवं पईया पेपर पर एकरारनामा की प्रति संलग्न करें)

(ङ) गाड़ी का बीमा अद्यतन है :– हॉ/नहीं
(बीमा की फोटो कॉपी संलग्न करें)

(च) फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।

(छ) रोड टैक्स की फोटो प्रति संलग्न करें।

(ज) चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति संलग्न करें।

08. अपना पैन नम्बर लिखें :–
(फोटो प्रति संलग्न करें)

09. बैंक खाता संख्या :–

बैंक का नाम :–
(विगत छः माह का बैंक स्टेटमेन्ट या पासबुक की फोटो प्रति संलग्न करें)
बैंक में कम से कम एक लाख रूपया छः महीने अथवा इससे अधिक से होना अनिवार्य होगा।

10. निविदा के साथ जमा किये गए अग्रधन राशि की विवरणी :–

(क) अग्रधन की राशि :–
रू0 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट " तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, " के नाम, जो मुजफ्फरपुर में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ख) बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि :–
ड्राफ्ट की राशि रू0 :–
बैंक का नाम :–

11. क्या आप उपर दर्शाये गए गाड़ियों को निविदा खुलने/अन्य निर्धारित तिथि को डेयरी परिसर में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकते है :– हॉ/नहीं

निविदादाता का हस्ताक्षर

12. क्या आपने दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्त्ते एवं दिशानिर्देश को पढ़ कर एवं समझ कर निविदा भरा है एवं आप उसके अनुरूप परिवहन कार्य करने के लिए सहमत हैः—
हॉ/नहीं

13. क्या आप तिमुल संघ को नियमित रूप से प्रतिदिन दूध परिवहन कार्य ठीके के शर्त्तों को मानते हुए गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु सक्षम एवं तैयार है :— हॉ/नहीं

14. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात प्रतिगाड़ी निम्नलिखित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुजफ्फरपुर डेयरी कार्यालय में जमा करना होगा, जिसपर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। जमानत की राशि में अग्रधन की राशि का समायोजन किया जा सकता है।

गाड़ी का प्रकार	जमानत राशि (रू0)
ट्रक	50000.00
टाटा 709/608	30000.00
टाटा 407/पीकअप 407	20000.00
पीकअप/टाटा 107	10000.00

15. निविदादाता के नाम स्वयं अगर गाड़ी होगी तथा संघ के पूर्व/वर्तमान परिवहन संवेदक होगें तो उन्हे प्राथमिकता दी जायगी।

———: सत्यापन :———

मैं सत्यापित करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा उपर प्रस्तुत सभी सूचनाएॅ सत्य है एवं यदि मेरी निविदा स्वीकार की जाती है तो अनुमोदित दर पर एकरारनामा एवं इसमें अंकित शर्त्तों को मानते हुए नियमित रूप से दुग्ध संग्रहण परिवहन कार्य /सुधादान/पोषक सुधा परिवहन कार्य ठेका के आधार पर करने के लिए तैयार हूॅ।

दिनांक :— निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर :—

निविदादाता का नाम :—

चेकलिस्ट

अनुलग्नक :– | निसान √ लगावें

01. पासपोर्ट आकार का फोटो — हॉ / नहीं

02. पहचान पत्र की प्रति — हॉ / नहीं

03. बैंक स्टेटमेन्ट/जमा विवरण की प्रति — हॉ / नहीं

04. गाड़ी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेस/इंश्योंरेंस कागजात की प्रति — हॉ / नहीं

05. अपना वाहन नहीं होने की स्थिति में 1000 /– रू0 के नन–जुडिशियल स्टाम्प एवं पईया पेपर पर एकरारनामा की प्रति — हॉ / नहीं

06. अनुभव/कार्यादेश की प्रति

07. पैन कार्ड की प्रति

08. निर्धारित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप में)

09. शपथ पत्र

(मेरा कोई संबंधी फेडरेशन/मिल्क युनियन/फेडरेशन बोर्ड/मिल्क युनियन बोर्ड में नही है)

निविदादाता का हस्ताक्षर

1000 /– रू0 के नन–जुडिशियल स्टाम्प एवं पईया पेपर पर

दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर डेयरी, जिसका कार्यालय सदातपुर, कोल्हुआ पैगम्बरपुर , कॉटी रोड, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, कि तरफ से प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/उप–प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे '' दुग्ध संघ'' से सम्बोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष परिवहन संवेदक श्री ...., पिता .... ग्राम ....पोस्ट ...., थाना ....जिला .... पिन कोड ....के स्थायी निवासी है तथा जिनका पत्राचार का पता ....दूरभाष सं0 .... जिसे आगे ''संवेदक'' से सम्बोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से संग्रहित कच्चे दुग्ध को ....(डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर जो दुग्ध संघ की एक ईकाई है) तक परिवहन करने तथा समितियों को जॉच सामान सुधादान, बीज इत्यादी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामग्रियों को उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से नियुक्त परिवहन संवेदक को कार्यादेश संख्या .... दिनांक .... निर्गत किया गया है। जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्त्ते एकरारनामा के शर्त्तों का हिस्सा समझा जायेगा, जिसे पक्ष मानने के लिए सहमत है। दोनो पक्षों द्वारा एकरारनामा में उद्धत क्रमांक 01 से 30 में अंकित सभीशर्त्तें को पूर्णरूप से पढ़कर समझकर एवं बिना किसी दबाब के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया :–

हस्ताक्षर (दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)	हस्ताक्षर (संवेदक)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)	उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)
01	01
02	02

एकरारनामा की शर्त्ते

01. यह एकरारनामा दिनांक .... से .... अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात् आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार का अधिकार '' दुग्ध संघ '' का होगा, जिसे संवेदक मानने के लिए बाध्य होंगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्त्ते पूर्ववत लागू रहेगी। पुनः आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार अधिकतम एक वर्ष तक किया जायेगा, जिसके लिए एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

02. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा, जबकि संवेदक का उक्त स्थिति में न्यूनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त लिखित सूचना दिये हुए कार्य बंद करने पर जमानत राशि संघ में जब्त कर लिया जायेगा।

    अत्यंत हीं विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगा तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा चौबीस घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र के निर्गत तिथि से हीं संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा।

03. एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा में दिये गये शर्त्तों के परिचालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि रूपया .... दुग्ध संघ में जमा किया जायेगा, जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा। 01 माह पूर्व सूचना दिए बिना परिवहन कार्य छोड़ने कि स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

    एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात् (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों द्वारा निर्गत एवं संघ के भण्डार से बकाया नहीं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत सभी वसूलनीय राशि की कटौती के पश्चात (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धत शर्त्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।

04. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर निर्गत समय–सारणी के अनुसार सुबह तथा शामपाली में दुग्ध सहित कैन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। दुग्ध संघ में निर्धारित समय से विलम्ब से दुग्ध पहूँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दुग्ध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्णक्षति की कटौति संवेदक के विपत्र से की जायेगी।

05. दुग्ध संघ से प्राप्त खाली कैन, समिति को सम्बोधित पत्र, ऐसीड अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा, सुधादान इत्यादि संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (कैन सहित कच्चे दुग्ध के अतिरिक्त) जैसे : मांग–पत्र, एसीड, अल्कोहल का खाली जार इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के भण्डार/संबंधित शाखा में जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। परिवहन के दौरान सामान के टुट–फूट, खोने, मात्रा की कमी, गुणवत्ता में अंतर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी।

06. संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली (सुबह/शाम) का ट्रकशीट उसके अगले पाली में (सुबहपाली का ट्रकशीट शामपाली में एवं शामपाली का ट्रकशीट सुबहपाली में) संबंधित समितियों के प्रतिनिधि (सचिव, टेस्टर, भारवाहक) को हस्तगत कराना होगा। सामान्य परिस्थिति में संघ द्वारा प्रत्येक दिन सुबहपाली का ट्रकशीट उसी दिन अपराहन् 3.00 बजे तक तथा रात्रिपाली का ट्रकशीट अगले तारीख के सुबह 4.00 तक बजे उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त संवेदक प्रत्येक गाड़ी पर एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें प्रत्येक पाली में सभी समितियों के प्रतिनिधि से उनके द्वारा आपूर्ति भरे कैन की संख्या, दुग्ध की मात्रा, आपूर्ति खाली जार की संख्या की प्रविष्टि करायेंगे या स्वंय करेंगे। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संघ द्वारा प्रतिमाह रू0 250/– (दो सौ पचास) की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ को सुरक्षित रहेगा।

07. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली कैन, पत्र, ट्रकशीट, पशुआहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधित सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय–सारणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ से प्राप्त करेंगे, ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौपना होगा। समितियों के लेन–देन से संबंधित पंजी का संधारण संवेदक को करनी होगी तथा सामान टुट–फुट नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा।

08. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दुग्ध एवं अन्य सामग्री परिवहन कर दुग्ध संघ तक नहीं ला पाने की स्थिति में हुई क्षति की कटौति संवेदक से किया जायेगा। परिवहन गाड़ी खराब या अन्य किन्ही करणों से दुग्ध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

09. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समितियों का दुग्ध एवं अन्य सामग्री छुट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन करने में असफल होता है तो वैसी परिस्थिति में मुख्य पथ एवं शटल पथ के समितियों खट्टा एवं दही होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौती संवेदक के विपत्र से कटौती कर समितियों को भुगतान की जायेगी।

10. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दुग्ध कैन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौपने में असफल होने की स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दुग्ध कैन एवं अन्य सामग्री पहूँचाना होगा, परन्तु उनके द्वारा अतिरिक्त तय किये गये दूरी का भुगतान नहीं होगा। समिति एवं संघ को इसके कारण हुई क्षति की कटौती शटल पथ के विपत्र से की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी, जिससे शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहूँचने का उल्लेख हो। दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेन्जर या अन्य किसी सामग्री ढ़ोने का कार्य परिवहन में संलग्न गाड़ी द्वारा नहीं किया जायेगा। उक्त शर्त्त के उल्लघन करते पाये जाने पर प्रथमवार उसपाली अर्थात एकवाली का विपत्र संघ द्वारा कटौती कर लिया जायेगा। उक्त शर्त्त के उल्लंघन की पुनरावृति होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने तथा पूर्ण जमानत की राशि जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा।

11. दुग्ध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों (प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, उप–प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, वरीय एवं कनिय प्रापण सहायक) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जॉच करने का अधिकार होगा। परिवहन मात्रा या गुणवत्ता की समस्या के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्त्तों के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि गाड़ी पर व्यवहार–कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा–पत्रधारी, चालक के अतिरिक्त टाटा 407, 407 पिकअप एवं बड़ी गाड़ी के लिए दो कुशल खलासी तथा 407 पिकअप से छोटी गाड़ी के लिए एक कुशल खलासी को लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, बीमा संबंधी कागजात परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजातों को रखेंगे।

13. दुग्ध पथ में पड़नेवाली समिति/समितियाँ या पूरे पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दुग्ध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा। समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा देय नही होगा। दुग्ध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

14. संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान दुग्ध की चोरी/हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के परिवहन कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों का घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई सभी क्षति (दुग्ध की मात्रा गुणवत्ता) की कटौती निम्न दर से की जायेगी।

दुग्ध	–	तत्कालिन प्रभावी दर
फैट	–	तत्कालिन प्रभावी दर
एस.एन.एफ	–	तत्कालिन प्रभावी दर

15. क्रमांक – 14 में अंकित कटौती के अतिरिक्त समिति से प्राप्त सामान अथवा संघ द्वारा आपूर्ति किये गए सामान के खोने, चोरी करते हुए पकड़े जाने, समिति को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा निम्नलिखित दर से परिवहन संवेदक से राशि की वसूली की जायेगी :–

–	कैन ढक्कन सहित (अल्यु.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	कैन ढक्कन सहित (स्टील.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	कैन ढक्कन (अल्यु.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	कैन ढक्कन (स्टील.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	जार 10 लीटर (प्लास्टिक.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	जार 02 लीटर (प्लास्टिक.)	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	सुधा पशु आहार	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	सुपर सुधा पशु आहार	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	दवा	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	पोषक सुधा	–	तत्कालिन प्रभावी दर
–	दुग्ध जन्य पदार्थ	–	तत्कालिन प्रभावी दर

इसके अतिरिक्त जिन सामग्री का दर उपर अंकित नही किया गया है, उन सामग्रियों की कटौती संघ द्वारा समिति को आपूर्ति दर से 20 प्रतिशत अधिक दर से की जायेगी।

16. संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि गाड़ी पर व्यवहार–कुशल चालक तथा खलासी रखें। समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दूर्व्यवहार अथवा चोरी, दुग्ध की हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने वाले चालक तथा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात उस कर्मचारी (चालक / खलासी) को हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी। संघ द्वारा ''ब्लैक लिस्टेड'' चालक तथा खलासी को कोई संवेदक द्वारा नही रखा जायेगा। संघ द्वारा ''ब्लैक लिस्टेड'' चालक तथा खलासी की सूचना संवेदक को लिखित दी जायेगी। कार्यालय के सामान्य प्रशासन के तहत चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिसर में आने के लिए संवेदक को व्यवस्था करनी होगी । संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी लुंगी पहनकर परिसर में न आयें। संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक दिन गाड़ी साफ–सुथरा रखें।

17. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी ऐसे कारनामों में शामिल अथवा सम्बद्ध होते है जिससे दुग्ध संघ की छवि खराव होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जप्त कर लिया जायेगा।
18. दुग्ध परिवहन की गाड़ी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रूकेगी जहाँ सुरक्षा प्रहरी द्वारा कैन की गिनती की जायेगी। डेयरी परिसर में अधिकतम 10.0 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायेगा एवं खलासी द्वारा गाड़ी नहीं चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा व्यवस्थित रूप से भरे कैन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे, जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नही हो। वापसी में ट्रक–शीट प्राप्ति के पूर्व भण्डार/इनपुट शाखा के भण्डार से समिति के मांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि की होगी। उक्त शर्त्तों के पालन नहीं करने पर अधिकतम 5000.00 (पाँच हजार) रूपया का जुर्माना किया जायेगा।
19. समिति के मांग के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा आपूर्ति तरल दुग्ध (पौच/लूज) संबंधित समिति तक परिवहन करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इस मद में संघ द्वारा निर्गत आदेशानुसार परिवहन शुल्क का भुगतान समिति द्वारा किया जायेगा।
20. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि अपने खर्च पर दुग्ध परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी एवं तिरपाल की व्यवस्था आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अंदर करना होगा। उक्त व्यवस्था का जबतक अनुपालन नहीं किया जायेगा तबतक भुगातन नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निमोनिक सिम्बल सहित गाड़ी का पेंटींग दुग्ध संघ के निर्देशानुसार करना होगा।
21. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रिप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है, जिसका परिचालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक का उनके पथ के लिए स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा।
22. एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दुग्ध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परन्तु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का समय उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नही हो। दुग्ध संघ समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल–मेल रहे इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक द्वारा स्थायी चालक तथा खलासी को रखें। संघ से सामान प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को सत्यापित हस्ताक्षर के साथ प्रतिवेदन संघ में जमा किया जायेगा। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सामान प्राप्त करने के कारण हुई आर्थिक क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी।

23. रात्रिपाली में समितियों से संग्रहित दुग्ध को डेयरी परिसर में पहूँचाने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक अथवा खलासी के सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी को परिसर के अंदर सोने नहीं दिया जायेगा। संवेदक यदि चाहे तो रात्रिपाली में दुग्ध सुपुर्द करने के पश्चात् गाड़ी परिसर से बाहर ले जा सकते है परन्तु साफ कैन, सामान, ट्रकशीट इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही की जायेगी, जिसे संवेदक को प्राप्ति के लिए गाड़ी को पुनः परिसर में लाना होगा। चालक/खलासी को रात्रिपाली में परिसर में सोते पाये जाने की स्थिति में एक मुश्त 5000.00 (पाँच हजार) रूपया का जुर्माना किया जायेगा।

24. एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दुग्ध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते है तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्णसमायोजन नही होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि से कटौती की जायेगी।

25. परिवहन संवेदक संघ को एक माह की पूर्व लिखित सूचना एवं स्वीकृति के पश्चात किसी अन्य संवेदक को संविदा स्थानान्तरित कर सकता है, परन्तु जमानत राशि का भुगतान एकरारनामा अवधि समाप्ति के तीन माह के अंदर किया जायेगा। संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि निविदा स्थानान्तरण की तिथि तक का बकाया नहीं प्रमाण–पत्र संघ में प्रस्तुत करें। नये परिवहन संवेदक को गाड़ी के प्रकार के अनुसार जमानत राशि तथा एकरारनामा संघ में जमा करना होगा।

26. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगा :–

अवधि		संबंधित कार्यालय में विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारीख	–	17/18 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तारीख तक	–	02/03 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि को उस पथ के पथप्रभारी को विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतिकरण के पंद्रह दिनों के अंदर दुग्ध संघ द्वारा चेक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति आयकर इत्यादि) के पश्चात् भुगतान किया जायेगा। विलम्ब से विपत्र जमा करने की स्थिति में भुगतान की समय–सीमा लागू नही होगी।

परिवहन संवेदक को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरूद्ध अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नही होगा।

27. दुग्ध संघ/डेयरी द्वारा समय–समय पर निर्गत सभी प्रकार के आदेश/निदेश अथवा एकरारनामा के किसी भी कंडिका/प्रावधान में संशोधन/विलोपन/अतिरिक्त संयोजन (यदि कोई होगा) तो संवेदक इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
28. संवेदक को देय प्रति किलोमीटर दर का आकलन वर्तमान डीजल दर के आधार पर है। डीजल के मुल्य में कुल मिलाकर एक रूपया या इससे अधिक वृद्धि या कमी होने पर निर्धारित दर परिवर्त्तनीये होगा। संशोधित दर का आकलन गाड़ी के डीजल खपत के अनुसार (यथा ट्रक प्रति लीटर 04 किलोमीटर, टाटा 607/709 प्रति लीटर 07 किलोमीटर, टाटा 407/महिन्द्रा 3200 प्रति लीटर 08 किलोमीटर, टाटा 407 पीकअप प्रति लीटर 09 किलोमीटर, पीकअप प्रति लीटर 10 किलोमीटर एवं टैंम्पू/टाटा ए.सी.ई प्रति लीटर 18 किलोमीटर के आधार पर) किया जाएगा।
29. गाड़ी की दुर्घटना, लूटमार, आकस्मिक दुर्घटना अथवा अन्य कोई घटना होने पर दुग्ध संघ/डेयरी कहीं से किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति के लिए किए गए दावे के लिए देनदार एवं जिम्मेवार होगा। वाहन पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या ड्राईवर या खलासी या कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिनकी दुर्घटना में जान–माल की क्षति हुई हो, उनके या उनके परिजनों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दावे अथवा मोटर यान ऐक्ट, वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट अथवा किसी भी वैधानिक एक्ट के तहत् क्षतिपूर्ति के लिए दुग्ध संघ /डेयरी जिम्मेवार अथवा देनदार नहीं होगा। किसी भी अवस्था में ऐसे व्यक्ति अथवा उनके आश्रितों/परिजनों का दुग्ध संघ/डेयरी में नियुक्ति का दावा नहीं होगा।
30. उभय पक्ष के बीच किसी भी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानों, व्याख्याओं अधिकारेां, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के संबंध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर एकमात्र मध्यस्थ होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

....

....

....

....

100/– रू0 के नन–जुडिशियल स्टाम्प एवं पईया पेपर पर

बन्ध–पत्र

******

हमलोग :

01. श्री .... पिता .... उम्र ..... पूरा पता ग्राम .... पोस्ट ....थाना .... जिला .... पिन कोड ....व्यवसाय ....

02. श्री .... पिता .... उम्र ..... पूरा पता ग्राम .... पोस्ट ....थाना .... जिला .... पिन कोड ....व्यवसाय ....

अपने आपको श्री .... पूरा पता .... जिन्हे अब आगे परिवहन संवेदक कहा जायेगा, का जमानतदार घोषित करते है तथा यह जमानत देते है कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक .... को तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर जिसे अब दुग्ध संघ कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरूप सभी शर्त्तों का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेंगे। हम यह भी जमानत देते है कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार का गबन अथवा एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हमदोनो वास्तविक क्षति की राशि की क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ को भुगतान करेंगे। हम यह भी सहमति देते है कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य श्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है। हमसे की गई उक्त राशि की वसूली इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया अथवा नहीं, हम यह भी सहमति देते है कि परिवहन संवेदक से एकरारनामा की शर्त्ते से संशोधन/परिवर्तन होने पर हमदोनों जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नहीं होते है। हमलोगों ने दुग्ध संग्ध और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढ़कर समझ लिया है। हमदोनों का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्तरूप से होगा।

जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित

01. नाम .... हस्ताक्षर ....
पता ....
02. नाम .... हस्ताक्षर ....
पता ....

गवाह द्वारा हस्ताक्षरित

01. नाम... हस्ताक्षर ....
पता ....
02. नाम... हस्ताक्षर ....
पता ....

Before,

The Notery Public,

AFFIDAVIT

****

Affidavit of Sri ………………………………….. S/o Sri ……………………….. aged …………… years ………………. resident of ………………………………. ……………………………………………………………………………………

01. The aforesaid, do hereby solemnly affirm and declare as under :

That I have entered into an agreement dated ……………………. With the **TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFARPUR** regarding Transportation of Milk, C.F & other related materials from, Muzaffarpur Dairy /C.FF Kanti/ MCC Shahebganj/ Gopalganj/ Siwan/ Betia/ Motihari/Sheohar/Sitamadhi/Blocks and the contents of the said agreement to be read as part of this affidavit also.

DEPONENT

VERIFICATION

****

Verified at ………………………………… this ……………….. day of …………………………………….. that contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFARPUR
Muzaffarpur Dairy, P.O. – Kolhua Paigamberpur, Muzaffarpur - 843 108 (Bihar)
Phone:+91-7070992986,
Website:- www.sudhatimul.in, E-mail :- tirhutnin@gmail.com, proctimul@gmail.com

(दूध संग्रहण परिवहन/सुधादान/पोषक सुधा परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित)

वित्तीय बीड प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या :– तिथि :–

01. निविदादाता का पूरा नाम :–

(क) स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला :–
पोस्ट :– थाना :–
जिला :– पिन कोड :–

(ख) वर्तमान पता :– ग्राम/मोहल्ला :–
पोस्ट :– थाना :–
जिला :– पिन कोड :–

02. दूरभाष संख्या :– मोबाईल संख्या :–

03. निविदित दर पृष्ठ संख्या – 2 में दर्शाये गए पथ/पथों के सामने अंकित किया/भरा जायगा, जो स्वीकृत्यादेश की तिथि से दो वर्ष के लिए लागू रहेगा।

04. अग्रधन की राशि :– ड्राफ्ट संख्या :–

बैंक का नाम :–

निविदादाता का हस्ताक्षर

—: दुग्ध संग्रहण परिवहन ठीका कार्य हेतु :—

क्र0 स0	पथ का नाम	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	अनुमानित दूरी (कि0मी0)	केन की संख्या (वर्तमान)	दर प्रति कि0मी0 (रू0)	अभ्युक्ति
मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र							
01	मुशहरी – प्रहलादपुर	03	Pickup या समकक्ष	100±10	50		
02	जाता – मुन्नी पथ	05	Pickup या समकक्ष	70±10	50		
03	कॉटी,मोतिपुर –बनघारा	14	Tata 407 या समकक्ष	200±10	70		
04	प्रतिराजपुर–फकुली	18	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
05	प्रतिराजपुर–बलिया	20(बी)	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
06	गवसरा वंगरी–कमलपुरा	22	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
07	मुहम्मदपुर – बनघारा	23	Pickup या समकक्ष	220±10	50		
08	फतेहपुर से बड़कागॉव–बनघारा	23(एस)	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
09	लालुछपरा – कमलपुरा	24	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
10	मथुरापुर मुकुन्द – माड़कन	26(एस)	Pickup या समकक्ष	70±10	50		
सीतामढ़ी प्रक्षेत्र							
11	सीतामढ़ी – परसौनी बेनिपुर	06	Pickup या समकक्ष	40±10	50		
12	सीतामढ़ी – खड़का पंचनौर	06(ए)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
13	ऐरिया – रून्नीसैदपुर	07(बी)	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
14	सीतामढ़ी – बैरंगनीया	08 (बी)	Pickup या समकक्ष	110±10	50		
15	सीतामढ़ी–सोनवर्षा	11	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
16	बनरझुला–कन्हौली	11(एस)	Pickup या समकक्ष	100±10	50		
17	कन्हौली मुअरही बनझुला पथ	11 (ए)	Pickup या समकक्ष	100±10	50		
18	कोयली–कुम्हरा विशुनपुर	15	Pickup या समकक्ष	110±10	50		
19	सीतामढ़ी–परिहार रोड	40	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
20	सीतामढ़ी– बाजपट्टी–पुपरी	41	Pickup या समकक्ष	160±10	50		
21	बनरझुला – परिहार नरगा	71	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
22	कुम्हरा विशुनपुर –पुपरी, चोरोत	72	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
शिवहर प्रक्षेत्र							
23	शिवहर – बराही नरवारा	04 (सी)	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
24	पुरनहिया–वसंतपट्टी–शिवहर	9	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
25	शिवहर–मधुवन	36	Pickup या समकक्ष	110±10	50		
मोतिहारी							
26	झौआराम–कुण्डवा चैनपुर	12	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
27	झौआराम–पचपकड़ी	12 (ए)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
28	मल्लुटोला–अम्बरीया, विशम्भरपुर	12(बी)	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
29	मल्लुटोला–धरहरवा	12(सी)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
30	पिपरा–बनकटवा	13	Pickup या समकक्ष	100±10	50		
31	लखौरा – नरकटिया	13(एस)	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
32	बलुआ– जिहुली	16	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
33	बलुआ–शिकारगंज	16(बी)	Pickup या समकक्ष	100±10	50		
34	पकड़ी दयाल – मोतिहारी	16(सी)	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
35	मेतिहारी– पिपरा–पिपराकोठी	21	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
36	श्रीपुर–चम्पापुर नुनौरा	25	Pickup या समकक्ष	90±10	50		

37	श्रीपुर – हिरापुर	25(एस)	Pickup या समकक्ष	70±10	50		
38	फेनहारा–मधुबन– नन्हकार	42	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
39	नन्हकार – तेतरिया – राजेपुर	42(बी)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
40	मोतिहारी – आदापुर नरकटिया	43	Pickup या समकक्ष	80±10	50		
41	मोतिहारी – छपवा सुगौली	43(एस)	Pickup या समकक्ष	160±10	50		
42	मोतिहारी – कोटवा	44	Pickup या समकक्ष	155±10	50		
43	तुरकौलिया, गायघाट	28	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
44	चोरमा, सुन्दपट्टी, नन्हकार	81	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
गोपालगंज प्रक्षेत्र							
45	बरैली – गोपालगंज	30	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
46	गोपालगंज–हुस्सेपुर	31	Pickup या समकक्ष	240±10	50		
47	टेरखेमराज – यमुनाहा	32	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
48	टेरखेमराज – नरहवा	32 ए	Pickup या समकक्ष	165±10	50		
49	लोहठी – भैारे विजयीपुर	45	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
50	टेरखेमराज–विजयीपुर	45(ए)	Pickup या समकक्ष	210±10	50		
51	गोपालगंज – कुचायकोट	62	Pickup या समकक्ष	220±10	50		
52	हथुआ – खैड़टीया	63	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
53	लोहटी– करेया	64	Pickup या समकक्ष	185±10	50		
54	गोपालगंज–महमदपुर	65	Pickup या समकक्ष	200±10	50		
55	गोपालगंज–मिरगंज	91	Pickup या समकक्ष	200±10	50		
साहेबगंज प्रक्षेत्र							
56	साहेबगंज–देवरिया	27	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
57	सहेबगंज–नीरपुर	27(ए)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
58	साहेबगंज–पुरन छपरा	29	Pickup या समकक्ष	160±10	50		
59	साहेबगंज– केशरिया	33	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
60	साहेबगंज – बरूराज	56	Pickup या समकक्ष	200±10	50		
61	साहेबगंज–मेहसी	57	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
62	साहेबगंज – राजापट्टी	61	Pickup या समकक्ष	180±10	50		
बेतिया प्रक्षेत्र							
63	बेतिया–हरसिद्धि	28+34	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
64	बेतिया–अरेराज	34	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
65	बेतिया–नौतन	34(बी)	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
66	नौतन–जगदिशपुर	34(सी)	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
67	लोरि़या – चौतरवा	35	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
68	चौतरवा–जूरा	35(ए)	Pickup या समकक्ष	120±10	50		
69	टोनवॉ – चौतरवा	35(एस)	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
70	बेतिया – नौतन	46	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
71	बेतिया – जोगापट्टी	47	Pickup या समकक्ष	180±10	50		
72	बेतिया – मझरिया	52	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
73	बेतिया – मैनाटांड	53	Pickup या समकक्ष	230±10	50		
74	मैनाटाड–जवदी	53(एस)	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
75	बैशखवा– बेतिया	54	Pickup या समकक्ष	200±10	50		
76	चौतरवा – हथुअहवा	55	Pickup या समकक्ष	180±10	50		
77	हरनाटाई–विजयपुर	85	Pickup या समकक्ष	180±10	50		
78	बाल्मीकिनगर–हरनाटाड	86	Pickup या समकक्ष	160±10	50		

79	बाल्मीकिनगर– मझौलिया	87	Pickup या समकक्ष	150±10	50		
सीवान प्रक्षेत्र							
80	सीवान–उज्जल	38(ए)	Pickup या समकक्ष	140±10	50		
81	सीवान–मैरवा दरौली	38(बी)	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
82	सीवान–सोहगरा	38(सी)	Pickup या समकक्ष	200±10	50		
83	मिश्रौली–शिवपुर	38(डी)	Pickup या समकक्ष	130±10	50		
84	सीवान– राजपुर	39(बी)	Pickup या समकक्ष	160±10	50		
85	सीवान – गहिलापुर	39(सी)	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
86	सीवान – अफराज	49(सी)	Pickup या समकक्ष	190±10	50		
87	सीवान–पचरूखी	49(एस)	Pickup या समकक्ष	180±10	50		
88	सीवान–वसंतपुर	50(एस)	Pickup या समकक्ष	170±10	50		
89	सीवान–महिन्द्रनाथ	68	Pickup या समकक्ष	155±10	50		

—: सुधादान परिवहन ठीका कार्य हेतु :—

पशुआहार कारखाना कांटी से दुग्ध बल्क कुलरों/दुग्ध शीतक केन्द्रो/समितियों तक सुधादान ढुलाई हेतु ट्रक की आवश्यकता है जिसका दर प्रतिकिलो मीटर/प्रति टन अंकित करना है।

क्र0 स0	विवरणी	गाड़ी का प्रकार	पशुआहार ढुलाई दर (रू0) प्रति कि0मी0/ प्रति टन	अभ्युक्ति

—: पोषक सुधा परिवहन ठीका कार्य हेतु :—

मुजफ्फरपुर डेयरी से तिमुल संघ कार्यक्षेत्र के सभी जिला के सभी प्रखंडों में सरकारी मांग के अनुसार सुरक्षित पोषक सुधा ढुलाई हेतु वाहन की आवश्यकता है जिसका दर प्रतिकिलो मीटर/प्रति टन अंकित करना है।

क्र0 स0	विवरणी	गाड़ी का प्रकार	पोषक सुधा ढुलाई दर (रू0) प्रति कि0मी0/ प्रति टन	अभ्युक्ति

———: सत्यापन :———

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सत्य है एवं यदि मेरी निविदा स्वीकार की जाती है तो अनुमोदित दर पर एकरारनामा एवं इसमें अंकित शर्त्तों को मानते हुए नियमित रूप से दुग्ध संग्रहण परिवहन /सुधादान/पोषक सुधा परिवहन कार्य ठेका के आधार पर करने के लिए तैयार हूँ।

दिनांक :— निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर :—

निविदादाता का नाम :—